

To : T C, Kolkata
 From : M.O.T., N Delhi
 राजस्वी पंगो नं. ३००४/७७

REGD NO. D.L.-3004/77



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राप्तिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 11761

No. 11761

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 9, 2005/कार्तिक 18, 1927

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 9, 2005/KARTIKA 18, 1927

यस्य मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2005

फा.आ. 1580(3)।—भारत के राजपत्र, अमरारण, भाग II,
 खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में दैरा 2 में प्रकाशित यस्य मंत्रालय, भाल मरकार
 द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर, 2005 द्वारा अभिपूछा में का. आ. 1547(3)
 में उपरांत (3) के काद "खण्ड-3 का" शब्द और अंक लोड़े जाए।

[का. सं. 5/13/2003-जट]

चैमिनी कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

CORRIGENDUM

New Delhi, the 9th November, 2005

S.O. 1580(E).—In the Notification of
 Government of India in the Ministry of Textiles, No. S.O.
 1547(E) dated the 28th October, 2005 published in the
 Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-
 section (ii), in para 2, the words and figure "of clause 3"
 be inserted after sub-clause (3).

[F No. 5/13/2003-Jutc]

J. K. SHARMA, Ji. Secy.

Ak
74/1
सू. (न.ट.)